

10/5/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील की वजह से (पक्षकारान वकील की वजह से आपत्ति जा. पत्र पर लुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26/5/23 को पेश हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

26/5/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. है। (स्वयंभवात्मक के कारण आदेश लुनाया नहीं जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5/6/23 को पेश हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

5/6/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. है। बहुत पक्षकारान वकील पर गौर किया व पत्रावली में उल्लंघन कुरैजात एवं आपत्ति जा. पत्र का अवलोकन किया गया तो कुरैजात आपत्ति जा. पत्र, कुरैजात में अवलोकन से मिथ्या आधारों पर पेश किया गया है। कुरैजात रिपोर्ट लम्बी पक्षों की मौखिक एवं तदर्थ के आधार पर बनाए गए हैं। दिन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार कुरैजात रिपोर्ट रिपोर्ट द्वारा मंडल में नियमानुसार एवं सभी पक्षकारान की तदर्थ से बनाए जाने के कारण आपत्ति जा. पत्र खारिज किया जाकर दावा वादी मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट डिस्मि किया जाना उचित समझे हैं। अतः कुरैजात आपत्ति जा. पत्र खारिज किया जाना दावा वादी मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट डिस्मि किया जाता है। निर्णय पृथक् से किया जाकर संलग्न है। निर्णयानुसार डिस्मि जारी हो। निर्णय की जालना हेतु किया जावे। पत्रावली वाद लम्बीत सम्बन्धित पत्र हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)